न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 11/2019

1. बाबूलाल पुत्र श्री गंगाराम, निवासी—खोराबिसल, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री सीताराम, निवासी—खोराबिसल, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. लादूराम मीणा पुत्र श्री सोनाराम, निवासी—राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला—जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2019 मिसल सं0 07/2018)

उपस्थितः—
1. श्री मितेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

दिनांक : 20.10.2021

निर्णय

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर स्थित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रेस्पोडेन्ट सं0 1 की भूमि ख0नं0 322 रकबा 3 हे0 पर अपीलान्ट द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रकरण सं0 07/2018 निर्णय दिनांक 25.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, आमेर से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर स्थित ख0नं0 322 रकबा 3 हे0 भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा तहसीलदार, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 322 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अपीलान्ट सं0 1 बाबूलाल पुत्र गंगाराम व अपीलान्ट सं0 2 कैलाशचंद पुत्र सीताराम, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—खोराबिसल द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। रेस्पो. सं. 1 अनुसूचित

जनजाति का सदस्य है। अनुसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया जावें। इस संबंध में प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, आमेर के यहां दर्ज होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त निर्णय दिनांक 25.03.2019 विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.02.1997 को सोनाराम मीणा पुत्र श्री गणेश मीणा द्वारा ख0नं0 322 ग्राम राधाकिशनपुरा की भूमि में से 2500 वर्ग मीटर भूमि क्रय की गई थी। इसमे से 2000 वर्ग मीटर भूमि का रूडमल पुत्र सोनाराम, लादूराम पुत्र सोनाराम व कमली देवी पत्नी सोनाराम ने दिनांक 27.01.2001 को समपरिवर्तन करवाकर, सीताराम पुत्र गंगाराम, हनुमान पुत्र गंगाराम, कमला पत्नी बाबूलाल व राधेश्याम पुत्र गोपाल के नाम दिनांक 28.02.2001 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 05.03.2001 को उप–पंजीयक आमेर के समक्ष पंजीकरण कर बैचान कर दी गई। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर क्रेतागण के हक में नामान्तरकरण खुलवा दिया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण 2500 वर्गमीटर भूमि का कब्जा व सम्पूर्ण राशि की लिखावट कर दी गई तथा रेस्पोडेन्ट की सहमति से ही अपीलार्थीगण वर्ष 1997 से काबिज है और चारो तरफ पक्के निर्माण करवा रखे है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 322 में से 2000 वर्ग मीटर का समपरिवर्तन आदेश दिनांक 27.01.2001 को पारित किया गया था और भूमि का प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया गया था, जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि की रजिस्ट्री क्रेतागण के हक में कर दी गई थी। ख0नं0 322 में से 340 वर्ग मीटर भूमि का समपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.06.2006 को पारित किया गया था। जिसके संवंध में दिनांक 15.08.2010 को एक इकरारनामा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी बाबूलाल पुत्र गंगाराम के हक में निष्पादित किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित था कि वादग्रस्त भूमि का कब्जा पहले से ही अपीलान्ट क्रेता बाबूलाल पुत्र गंगाराम के पास है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि 2500 वर्ग मीटर में से 140 वर्ग मीटर भूमि सडक में प्रस्तावित होने के कारण शेष 2340 वर्ग मीटर भूमि का प्रयोजन कृषि से आवासीय में समपरिवर्तित कर दिया गया। जिसके कारण उक्त भूमि के संबंध में धारा 183 बी के प्रावधान लागू नही होते है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2019 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि ख0नं0 322 का कब्जा धारक है तथा वादग्रस्त भूमि की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। अतः अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर किया गया अतिक्रमण गैर–कानूनी होने के कारण निरस्त किया जावें। अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य के

रूप में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे अप्रमाणित दस्तावेज है, ना तो अपीलान्ट द्वारा समपरिवर्तन आदेशों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है ना ही विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे रेस्पोडेन्ट की सहमति से ही वर्ष 1997 से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है और चारों तरफ पक्का निर्माण करवा रखे है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि तहसीलदार, आमेर द्वारा वादग्रस्त प्रकरण सं0 07/2018 में निर्णय दिनांक 25.03.2019 पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौका एवं रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम राधाकिशनपुरा के ख0नं0 322 रकबा 3.00 हे0 किस्म बारानी 2 की वर्तमान खातेदारी रूडमल पि. सोनाराम हिस्सा 17/60 रहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा, रायथल, लादूराम पि. सोनाराम हिस्सा 17/60 रहिन एस.बी.आई. बैंक शाखा चौमू, कमली देवी पत्नी सोनाराम हिस्सा 17/60 कौम मीणा, कालूराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/40 नि. माचडा, रामेश्वर पुत्र लालाराम हिस्सा 3/40 निवासी–सरना डूंगर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0नं0 322 के उत्तर पूर्व की तरफ कुछे हिस्से में पुख्ता बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है तथा ख0नं0 322 के कुछ हिस्से में फसल की जा रही है तथा कुछ हिस्सा खाली पडा है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अनुसूचति जनजाति का व्यक्ति है तथा उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 322 में से हिस्सा 17/60 के उत्तर पूर्व की तरफ अपीलान्ट द्वारा पुख्ता अवैध निर्माण कर कब्जा करने के कारण तहसीलदार, आमेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने का निर्णय विधि अनुरूप पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का भी गौरपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम राधाकिशनपुरा स्थित ख0नं0 322 रकबा 3.00 हे0 भूमि में से अपीलान्ट को 2000 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय समपरिवर्तन करवाकर रूडमल, लादूराम पुत्र सोनाराम व कमली देवी पत्नी सोनाराम द्वारा विक्रय की गई थी। जिसका आवासीय समपरिवर्तन पश्चात् जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट द्वारा ख0नं0 322 रकबा 3.00 हे0 भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि क्रय की गई थी। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा 500–500 वर्गमीटर के नामान्तरकरण क्रेतागण कमला पत्नी बाबूलाल, सीताराम पुत्र गंगाराम, हनुमान सहाय पुत्र गंगाराम, राधेश्याम पुत्र

गोपाल, समस्त जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–खोरा बीसल, तहसील–आमेर के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण खोल दिया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि शेष 0.34 हे0 भूमि पर भी वे मुताबिक इकरारनामा रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 की सहमति से वे 1997 से काबिज है। उनका नाजायज कब्जा ना होकर रेस्पोडेन्ट की सहमति से वे काबिज है। अनुसूचित जनजाति की भूमि पर स्वर्ण जाति का स्थानान्तरण अथवा जरिये अनुबंध पत्र/इकरारनामा जो कि अपंजीकृत दस्तावेज है, विधि रूप से मान्य नही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट का ख0नं0 322 रकबा 3.00 हे0 के उत्तरी–पूर्वी भाग पर अतिक्रमण होना स्पष्ट है। तहसीलदार, आमेर द्वारा ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर स्थित ख0नं0 322 रकबा 3.00 हे0 भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग के रकबे को अपीलान्ट बाबूलाल व कैलाश का अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने के पारित किये गये आदेश उचित है। तहसीलदार, आमेर द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक दस्तावेज के अपीलान्ट्स का अतिक्रमण होना सही पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार, आमेर से प्राप्त मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.10.2021 को सुनाया गया।

30/10/21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर